INDUSTRIAL DEVELOPMENT

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्या–1869/XVIII(II)/2021-20(38)/2018
देहरादून दिनांकः 21 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 वर्ष 1951) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) की धारा 230, 294 तथा धारा 344 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली,1952(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थातः–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952)(संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952)(संशोधन) नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–135 का संशोधन 2 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नियम–135 में,

(i) उपनियम (1) में भूलेख–निरीक्षक शब्द के स्थान पर भूलेख–उपनिरीक्षक शब्द रख दिया जायेगा।

(ii) उपनियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक एतद्द्वारा जोड़ दिये जायेंगे अर्थात–

परन्तु यह कि यदि औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि को अकृषक किये जाने हेतु उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2013) के अनुक्रम में भूमिधर द्वारा प्रार्थना पत्र एवं वास्तव में प्रयोग होने वाली अकृषक भूमि का नक्शा, जो राजस्व उपनिरीक्षक से निम्न स्तर पर न बनाया गया हो तथा राज्य प्राधिकृत समिति अथवा जिला प्राधिकृत समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया हो, प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा अकृषक भूमि के

नक्शे को उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम के अधीन अनुमोदित मानते हुए, प्रभारी सहायक कलेक्टर उपनियम (2) में उल्लिखित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए खतौनी में दर्ज किये जाने की घोषणा करेगा।

परन्तु यह और कि राज्य में ऐसे विकास प्राधिकरण क्षेत्र जहां महायोजना लागू की गयी है, ऐसे महायोजना विकास क्षेत्र में धारा 143 के अन्तर्गत भूमि को अकृषक (Non Agricultural) घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(रविनाथ रमन)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्या–1869(1)/XVIII(II)/2021-20(38)/2018
देहरादून दिनांकः 21 दिसम्बर, 2021

मा0 मंत्रिमण्डल के आदेश संख्या–4/2/XXIV/XXI/2021, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 के अनुपालन में राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या–1869/XVIII(II)/2021-20(38)/2018, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952)(संशोधन) नियमावली, 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952)(संशोधन) नियमावली, 2021 को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

संलग्न- यथोपरि

आज्ञा से,
(रविनाथ रमन)
सचिव

UO-Letter